


SPD/5383

दिनांक-10.10.2012


कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्या Acctts/3327 दिनांक 9.7.2012 का आंशिक संशोधन करते हुए निदेशित किया जाता है कि संभाग से संबंधित प्रतिभागियों एवं अन्य के मानदेय एवं यात्रा विपत्र का भुगतान की स्वीकृति राज्य परियोजना निदेशक से प्राप्त कर लेखा शाखा द्वारा भुगतान किया जायेगा। उन विपत्रों का संभाग प्रभारी द्वारा सत्यापन किया जाना अनिवार्य है।


(राहुल सिंह)

राज्य परियोजना निदेशक

प्रतिलिपि: सभी संभाग प्रभारी, राज्य स्तरीय कार्यालय/प्रशासी पदाधिकारी/मुख्य लेखा पदाधिकारी(प्रभारी)/जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (सर्व शिक्षा अभियान)/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा), सभी जिले को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(राहुल सिंह)

राज्य परियोजना निदेशक

Oct-2012

